

1	2	3
	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p> <p>337/2017</p> <p>है कि प्रथम पक्ष विवादी भूमि से अवैध तरीके से बेदखल करने पर अमादा है।</p> <p>प्र० प० ने अपने दावा के समर्थन में विगत सर्वे खतियान हाल सर्वे खतियान एवं वर्ष 2015-16 के लिए निर्गत मालगुजारी रसीद जमाबंदी सुधार वाद सं०-28/14-15 में पारित आदेश कम्प्यूटर जनित मालगुजारी रसीद, की छायाप्रति दाखिल किया है जबकि द्वि० प० ने वर्ष 1995-96 के लिए निर्गत मालगुजारी रसीद प्र० प० के पिता का नाम जमाबंदी से हटाने के लिए अंचल अधिकारी, पाँकी को सम्बोधित द्वि० प० का आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति दाखिल किया है।</p> <p>दोनों पक्षों के द्वारा कारण-पृच्छा एवं कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच यह मामला हक-हिस्सा से संबंधित दीवानी प्रकृति का है। जिसका सभाधान व्यवहार न्यायालय से ही संभव है। ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित 1915/17 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर मेदिनीनगर।</p> <p>1915/17 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर मेदिनीनगर।</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित</p>